न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 126/2017 (उदयपुर डिक्री)

विक्रमसिंह पिता स्वर्गीय मोहनसिंह जी भाक्तावत, निवासी तलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. किशनसिंह पिता मोखमसिंह जी भाक्तावत, निवासी 49, बागोर का नोहरा, हनुमानघाट के पास, चांदपोल बाहर, उदयपुर (राज.)
2. मु. उगम कुंवर बेवा स्वर्गीय मोहनसिंह जी भाक्तावत, निवासी तलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. इन्द्रसिंह पिता स्वर्गीय मोहनसिंह जी भाक्तावत, निवासी तलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती इन्द्रा कंवर पिता स्वर्गीय मोहनसिंह जी भाक्तावत, धर्मपत्नी भांकरसिंह जी झाला, निवासी आम्बीवाडा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती सुगना कंवर पिता स्व. मोहनसिंह जी भाक्तावत, धर्मपत्नी अमरसिंह जी झाला, निवासी आम्बीवाडा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती दुर्गा कंवर पिता स्वर्गीय मोहनसिंह जी भाक्तावत, धर्मपत्नी प्रतापसिंह जी राठौड़, निवासी बी.एस.एल. मिल के पीछे, प्रताप चक्की, मीरानगर, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. सुमेरसिंह पिता स्वर्गीय कालूसिंह जी भाक्तावत, निवासी तलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा—223 राजस्थान
काश्त. अधि.—1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 18.05.2017 प्र.सं. 29/2017

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

<u>उपस्थित(वक्त बहस)</u> 1— श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट

2— श्री लोके ा गहलोत ओस्तवाल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

3— श्री राजमल राव अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6

4—श्री मनीश भार्मा ओस्तवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 7

5— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 8

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 08—11—2021</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तलाई में आराजी नंबर 26 रकबा 43 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी नंबर 65 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 45 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी प्रकार मौजा मर्डिगपुरा में आराजी नंबर 197 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त कृशि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा होकर पक्षकारान अपने 1/3 हिस्से पर सहूलियत अनुसार काबिज हैं, किन्तु उक्त भूमि का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, जिससे आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है। उक्त उक्त भूमि का पक्षकारों के मध्य उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 18—05—2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 30—08—2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री लोके ा गहतोल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 की ओर से वकील श्री राजमल राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से वकील श्री मनीश भार्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 28–08–2017 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृश्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा आदे ा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 2/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2010 प्रस्तुत कर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा भी आदे ा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत सम्मन मय डाक रसीद व डिलेवरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

उक्त आवेदन का जवाब अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई भापथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इस कारण रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को कभी भी उक्त सम्मन प्राप्त नहीं हुए अगर प्राप्त होते तो ए.डी. रसीदें होती। अतः रेस्पोन्डेन्ट का आदे ा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा. दी. का आवेदन निरस्त किया जावे।

हमने उक्त आवेदनों पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जहां तक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्र न है, उसके साथ उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 2/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2010 की प्रमाणित प्रस्तुत की है, जो राजकीय दस्तावेज होने से न्यायहित में उसे रेकार्ड पर लिये जाने की अनुमति दी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्र न है, उसके साथ किसी प्रकार का भापथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि आदे ा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ भापथ पत्र प्रस्तुत करना आव यक होता है। इस कारण रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

वकील अपीलान्ट ने प्रकरण के गुणावगुण पर वक्त बहस बताया कि अपीलान्ट को लोक अदालत की कोई सूचना नहीं दी गयी एवं उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। उक्त भूमि बाबत् रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की बुआ भाोभा कुंवर व भूर कुंवर द्वारा एक वाद संख्या 2/2006 अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए दिनांक 17–05–2010 को वादीगण को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोशित करने हुए इसी अनुसार विभाजन का आदे ा पारित किया है। उक्त निर्णय व डिक्री किसी भी न्यायालय से निरस्त नहीं हुई है ऐसी स्थिति में पुनः बंटवारे का वाद नहीं चल सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः उक्त जमीन के 1/3, 1/3 हिस्से की डिक्री जारी की है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन डाक से भेजने के लिए रेस्पोन्डेन्ट कि ानसिंह को प्रदान किये थे, जो उसके द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. से अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट को प्रेशित किये गये, जो अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट को प्राप्त भी हो गये, इसके बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित भूमि बाबत् पूर्व में वाद संख्या 2/2006 में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2010 से वाद डिक्री कर प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोशित करते हुए इसी अनुसार विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिसकी अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय व डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 24–07–2018 से अपील व काउण्टर अपील खारिज की गयी है, किन्तु वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 कि ानसिंह ने इस तथ्य को छुपाकर पुनः इसी भूमि बाबत् नया वाद अधिनस्थ न्यायालय में 1/3, 1/3 हिस्से का प्रस्तुत किया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में सिर्फ वादी को सुनकर वादी का वाद डिक्री कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–05–2017 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 08–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर............
व इजलास ....एम. एल. चौहान, आर.ए.एस. ....

विक्रमसिंह पिता स्व.मोहनसिंह भाक्तावत <u>बनाम</u> कि ानसिंह पिता मोखमसिंह भाक्तावत
निवासी तलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

नि.49, बागोर का नोहरा, हनुमानघाट, के पास, चांदपोल बाहर, उदयपुर व अन्य

अपील नं......126/17.....व नाराजगी डिगरी अदालत.........उपखण्ड अधिकारी .... वल्लभनगर.......... मुकाम................मुवर्खे............18.....माह..............05.............2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........08....माह........11.......सन् 2021 रूबरू........पक्षकारान व हाजर...श्री संजय बोहरा..मिनजानिब अपीलान्ट व...श्री लोके ा गहलोत/मनीश भार्मा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–05–2017 अपास्त की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........08....माह.......11...........2021 को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested